



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार-249404
Website: psc.uk.gov.in

विज्ञापन संख्या :- A-1/DR(P)/E-5/2023-24

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य (श्रेणी-दो) परीक्षा-2023
Govt. Industrial Training Institute Principal (Grade-II) Examination-2023

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	-	13 अक्टूबर, 2023
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	-	03 नवम्बर, 2023 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI Payment द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	-	03 नवम्बर, 2023 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वारधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी का अंकन ऑनलाईन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस) 19532/2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
2. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें वह कि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक **03 नवम्बर, 2023** तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date) वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाईन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन करें। **विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।**
3. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की इस परीक्षा से व समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
5. ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। ऑनलाईन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अन्तिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर

प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या-13 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जायेगा। इस हेतु आवेदन की अंतिम तिथि के बाद पृथक से आयोग की ऑनलाईन पर विज्ञप्ति प्रसारित की जायेगी।

अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

6. प्रश्नगत परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र एवं Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

7. अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए **परिशिष्ट-01**, पाठ्यक्रम के लिए **परिशिष्ट-02**, आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु **परिशिष्ट-03**, न्यूनतम अर्हक अंक हेतु **परिशिष्ट-04**, परीक्षा केन्द्र/जनपद के चयन हेतु **परिशिष्ट-05**, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु **परिशिष्ट-06** तथा 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु **परिशिष्ट-07**, अनुभव प्रमाण-पत्र के प्रारूप हेतु **परिशिष्ट-क** एवं अभिलेखों से संबंधित चैकलिस्ट हेतु **परिशिष्ट-08** का अवलोकन करें।

8. i- आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित नहीं किया जाना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

ii- प्रश्नगत पद हेतु अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में निर्धारित परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम के अनुसार स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जाएगा।

iii- आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन के **परिशिष्ट-08** के अनुसार सम्यक् अभिलेख/प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

iv- विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाईन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण-पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा।

v- स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा-शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022 के भाग-नौ तथा ऑनलाईन आवेदन-पत्र एवं अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु मार्गदर्शिका-2022 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों शैक्षणिक, आरक्षण आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा।

vi- अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें, ई-मेल या एस०एम०एस० के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई-मेल आईडी0 ही आवेदन पत्र में भरें।

9.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन करना सुनिश्चित करें।
10.	प्रश्नगत स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट-04 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को उनकी दावित आरक्षण श्रेणी/उप-श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के आधार पर प्रवीणता-सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
11.	स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कराये जाने की दशा में स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा तिथि के संबंध में यथासमय आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in, दैनिक समाचार पत्रों तथा ई-मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
12.	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाईन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति, दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
13.	उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक-05.06.2023 के अनुसार कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग में प्रधानाचार्य (श्रेणी-दो) पद हेतु दिव्यांगता LV/PB, D, HH/PD, OAL, OA, OL, LC, DW, AAV/AV, TH, एवं HP श्रेणी की निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थी भी अनारक्षित पद के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं, भले ही उनके लिए कोई रिक्ति आरक्षित हो या न हो। उक्त श्रेणी के निःशक्तता से ग्रस्त ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता के सामान्य मानकों द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु चुने जाने के लिए विचार किया जायेगा, परन्तु दिव्यांगजन को सरकारी सेवा में प्रवेश के समय दिव्यांगता की श्रेणी से भिन्न सामान्य स्वास्थ्य उपयुक्तता का प्रमाण पत्र नियमानुसार नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
14.	उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 32/XXXVI(3)/2023/04(01)/2023 दिनांक 11 फरवरी, 2023 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4 के पत्रांक-16/XXX(4)/2023-03(27)/2022 दिनांक 13 फरवरी, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
15.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए E.W.S. प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय की गणना के आधार पर निर्गत एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य होना चाहिए।

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अंतर्गत प्रधानाचार्य (श्रेणी-दो) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application) आमन्त्रित किये जाते हैं। प्रधानाचार्य (श्रेणी-दो) पद पर अर्ह अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के प्राप्तांक से निर्मित मेरिट के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्तियों के क्रम में किया जायेगा।

01. रिक्तियों का विवरण:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य (श्रेणी-दो) पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 18 है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार/उपश्रेणीवार निम्नवत है :-

श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज रिक्तियों का विवरण				
		उत्तराखण्ड महिला 30%	स्व0सं0से0 के आश्रित 2%	दिव्यांग 4%	पूर्व सैनिक 5%	उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चे 5%
अनारक्षित	09	02	..	01 (LV/PB)
अनुसूचित जाति	05	01				..
अनुसूचित जनजाति	01
अन्य पिछड़ा वर्ग	02
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01
योग	18	03	00	01	00	00

नोट:- समाज कल्याण, अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-48, दिनांक 05 जून, 2023 में प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित उपश्रेणियां LV/PB (Low Vision/Partial Blind), D (Deaf), HH/PD (Hard of Hearing/Partially Deaf), OAL (One Arm and One Leg Affected), OA (One Arm), OL (One Leg), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV/AV (Acid Attack Victims/Acid Victims), TH (Thalassaemia), एवं HP (Hemophilia) निर्धारित है। उक्त के अतिरिक्त अन्य दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

02. पद का स्वरूप:- समूह-‘ख’ राजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त ।

03. वेतनमान:- 7वें वेतनमान के अनुसार-वेतन मैट्रिक्स लेवल-10(56100-177500) ग्रेड वेतन-5400

04. (1) शैक्षिक अर्हता:-

- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक, विद्युत, इलैक्ट्रानिक्स दूरसंचार, आटोमोबाईल या उत्पादन अभियान्त्रिकी में उपाधि या ए0एम0आई0ई0 (इण्डिया) या ए0एम0आई0 (मैकेनिकल इन्जीनियरिंग) (लन्दन) या ए0एम0आई0ई0ई0 (लन्दन) या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, और
- (2) प्राविधिक अधिकारी/प्रधानाचार्य श्रेणी-2/उप प्रधानाचार्य के पदों के लिये कम से कम दो वर्ष के अध्यापन या कर्मशाला का अनुभव।

(2) अधिमानी अर्हता:- ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने-

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘बी’ प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

05. आयु :- आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2023 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई 2002 के पश्चात् का एवं 02 जुलाई, 1981 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

06. अधिकतम आयु सीमा में छूट :- विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या : 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह ‘ख’ के पदों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

अधिसूचना संख्या-6/1/72 कार्मिक-2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हों विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

07. राष्ट्रीयता:- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी 'ग' का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

08. चरित्र:- सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। राज्यपाल इस संबंध में अपना समाधान करेंगे।

टिप्पणी:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

09. वैवाहिक प्रारिथिता:- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो।

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

10. शारीरिक स्वस्थता:- किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उसे आयुर्विज्ञान परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

11. आरक्षण:- उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनाथ अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। ऊर्ध्वधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित

शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in देखें। ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उपश्रेणी की सूचना प्रदान करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

- (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चों, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (डी0एफ0एफ0) तथा महिला श्रेणी/उपश्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- (ii) यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।
- (iii) **अधिसूचना संख्या-64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07.03.2019 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु के लिए आरक्षण) अधिनियम 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राज्याधीन लोक सेवाओं और सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जिस वर्ष हेतु निर्गत किया जाये, उस वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये।**
- (iv) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के "परिशिष्ट-3" में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाईन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ निर्धारित तिथि तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख "परिशिष्ट-3" में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
- (v) दिव्यांगजन आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता होना अनिवार्य है। जो भी पद दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षित हैं, उसी दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
- (vi) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या-124/XXX(2)/2020-53(01)/2001 दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर-8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के **O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease** का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक के क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
- (vii) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।
- (viii) **शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।**

- (ix) अधिसूचना संख्या **179/XXX(2)/2021-30(2)/2019**, दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चों को क्वैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
- (x) शासनादेश संख्या: **374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014**, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात् 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत **परिशिष्ट-7** के साथ संलग्न है।
- (xi) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या **09/XXXVI(3)/2023/72(1)/2022** दिनांक 10 जनवरी, 2023 के क्रम में **उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्वैतिज आरक्षण) अधिनियम-2022 के प्रस्तर-3(1) व (2) के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित महिलाओं को क्वैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।**
आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए अभ्यर्थी को जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया (Procedure to apply online) :-

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाईट **psc.uk.gov.in** या **ukpsc.net.in** पर जायें।
2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात **ukpsc.net.in** पर जाकर **Menu bar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates** एवं **Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।
- 3- **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर **वॉछित**, अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
4. **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें।
5. **Login** करने के पश्चात **Educational Details** पेज प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात् अभ्यर्थी **High School** का विवरण भर कर **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Detail** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के **Icon** पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **reupload** करने के लिए **I want to upload photo and signature** **Checkbox** पर क्लिक कर पुन **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते हैं।
6. **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात **"I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself"** **declaration** पर **Tick** कर **Continue** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फार्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरे गये विवरण को **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म पर

पुनः वापस जाकर सही किया जा सकता है। वॉछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करने के पश्चात् **Proceed Button** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु **Pay Now Button** पर क्लिक कर, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। **Print Application** बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें।

7. **Final Submission** के उपरान्त आवेदन-पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (**Cancel**) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। रद्द किये गये आवेदन पत्र के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा। आवेदन रद्द (**Application Cancel**) करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Submit** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** बटन पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाईल एवं ई-मेल पर ओ0टी0पी0 (**OTP**) प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द (**Application Cancel**) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन (**Cancel Application**) के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट: (1) उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर डाटा भरने के बाद **Final Submit** बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(2) **Final Submission** से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म में वापस (**Back**) जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या (**Technical Issue**) के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpline@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं। **Final Submission** के पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् मोबाइल नम्बर **Edit** नहीं किया जा सकता है।

13. **संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया:-** ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा-निर्देश:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत (**Edit/Correction**) का लिंक खोला जाएगा।
- (ii) (**Edit/Correction**) हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।
- (iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की गयी है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई-मेल आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर पायेंगे।
- (iv) लॉग-इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई0डी0 को छोड़कर) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।
- (v) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा **Update** हो सकेगा।
- (vi) **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् **Edited Data** ही अंतिम माना जायेगा।
- (vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

14. **शुल्क :-** प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :-

क्र०सं० (S. N.)	श्रेणी (Category)	आवेदन- शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	अनारक्षित	रु० 150	रु० 22.30	रु० 172.30
02.	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु० 150	रु० 22.30	रु० 172.30
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रु० 150	रु० 22.30	रु० 172.30
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	रु० 60	रु० 22.30	रु० 82.30
05.	उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
06.	उत्तराखण्ड शारीरिक दिव्यांग (चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग)	कोई शुल्क नहीं	रु० 22.30	रु० 22.30

- नोट:- (1) उत्तराखण्ड राज्य के पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा-अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
- (2) दिव्यांग अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट शासनादेश सं०-232, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के बिन्दु सं०-17 के अनुसार दी जायेगी। उक्तान्तिक शासनादेश के बिन्दु सं०-17 के अनुसार "राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु विहित आवेदन शुल्क/परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। यह छूट उन्हीं दिव्यांगजनों को उपलब्ध होगी, जो अन्यथा आवेदित पद पर चयन हेतु उपयुक्तता के मानदण्ड के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे।"

15. अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा/स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :-

(क) आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा/चयन प्रक्रिया:-

- (1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावतियों/मैनुअल्स/मार्गदर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।
- (2) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन-2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है।
- (3) आयोग द्वारा अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं:-
 - (i) अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र/उपाधि प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
 - (ii) ऑनलाईन आवेदन में अधिमानी अर्हता का दावा करने पर परन्तु अधिमानी अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में अधिमानी अर्हता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
 - (iii) आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की सेवा में लागू न होने/ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में क्षैतिज आरक्षण का दावा किया गया है किन्तु आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् का

जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

- (iv) अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान ऑनलाईन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की ऑनलाईन पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाईट पर प्रसारित की जायेगी।

(ख) स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित निर्देश:- ऑनलाईन आवेदन पत्र अधिक संख्या में प्राप्त होने पर साक्षात्कार परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी के दृष्टिकोण से आयोग द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित होने की दशा में स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम 'परिशिष्ट-2' पर उपलब्ध है, स्क्रीनिंग परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत् हैं-

- (1) रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु साक्षात्कार परीक्षा के पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।
- (2) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) **परिशिष्ट-05** के नगरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जा सकती है।
- (3) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड** - स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नपत्र होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा।
 - (i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई अंक दण्ड रूप में काटा जायेगा।
 - (ii) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही ही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।
 - (iii) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।
- (4) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाईट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति आयोग की वेबसाईट पर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रु0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय-विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय-विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।
- (5) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।
- (6) **अँगूठे का निशान (Thumb Impression)**- सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।
- (7) **स्क्रीनिंग परीक्षा (यदि आयोजित होती है, तो)** में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्त पदों के सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक, साक्षात्कार परीक्षा के अंकों के साथ नहीं जोड़े जायेंगे। अंतिम चयन परिणाम

साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्त अंकों के मैरिट के आधार पर घोषित किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

(ग) साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्देश :-

- (1) स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल/सन्निरीक्षा के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार परीक्षा हेतु आहूत किया जायेगा।
- (2) साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन पत्र भर कर ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों से संबंधित शैक्षणिक/आरक्षण/अनुभव/विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि के प्रमाण-पत्र संलग्न कर साक्षात्कार तिथि को आयोग कार्यालय में परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाईट के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (3) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये अभिलेखों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों/अभिलेखों से साक्षात्कार दिवस में साक्षात्कार से पूर्व किया जायेगा तत्समय अभ्यर्थी को स्व-प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।
- (4) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र मूल रूप में अथवा स्व-प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- (5) साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मेरिट **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण विनियमावली-2022** के अनुसार न्यूनतम अर्हता अंक धारित अभ्यर्थियों की मेरिट के क्रम में अभ्यर्थियों को चयनित किया जायेगा। चयन परिणाम आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी।

16. सामान्य निर्देश:-

- (1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवानियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।
- (2) अभ्यर्थियों हेतु Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 एवं प्रथम संशोधन-2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022 (यथासंशोधित) आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है।
- (3) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाईट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
- (4) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करने, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने इत्यादि में कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई-मेल ukpschelpine@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।
- (5) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।
- (6) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य

प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

- (7) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:**— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- (8) **परीक्षा केन्द्र में आचरण:**— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करेगा तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था नहीं फैलायेगा तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान नहीं करेगा, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर-पुस्तिका पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायेंगे।
- (9) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।
- (10) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (11) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- (12) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- (13) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन-पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किया जायेगा एवं आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (14) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules- 2013** यथा संशोधित-2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
- (15) **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:**— अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।
- (16) **अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा:**—

1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में

अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं/पत्रक पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं/पत्रकों को फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं/पत्रक को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/अभिलेख परीक्षण कक्ष में मोबाइल फोन पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

- (17) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्रचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
- (18) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।
- (19) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।
- (20) अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की ऑनलाईन के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in का समय-समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।
- (21) सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।
- (22) अभ्यर्थी स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा के दौरान, अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

- (23) अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।
- (24) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।

परिशिष्ट-1

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य (श्रेणी-दो) परीक्षा -2023 हेतु परीक्षा योजना

(1.) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार):- आवेदन पत्रों की अधिक संख्या होने पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक इत्यादि हेतु क्रमशः **परिशिष्ट-02** का अवलोकन करें। स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्त अंक साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ जोड़े नहीं जायेंगे।

(2.) साक्षात्कार परीक्षा :- 100 अंक

नोट:-(1) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022 के अनुसार अनारक्षित पदों के लिए 45 प्रतिशत, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों के लिए 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवीणता सूची में सम्मिलित किया जायेगा। इस प्रवीणता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन प्रश्नगत पद हेतु किया जायेगा।

परिशिष्ट-2

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य (श्रेणी-दो) परीक्षा -2023

स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

“सामान्य अध्ययन”

समय: 2 घण्टे

प्रश्नों की संख्या: 150

पूर्णांक: 150

खण्ड-1 सामान्य अध्ययन

प्रश्नों की संख्या : 70

पूर्णांक : 70

1. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सम-सामयिक घटनाएं
2. खेल एवं मनोरंजन
3. भारत का इतिहास (प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक)
4. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
5. भारत एवं विश्व भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं कृषि
6. प्राकृतिक संसाधन, नियोजन, सतत एवं समावेशी विकास
7. प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबन्धन
8. भारत में मानव संसाधन विकास सूचकांक
9. भारतीय संविधान का प्राथमिक ज्ञान-भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघीय कार्यपालिका- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संघीय व्यवस्थापिका-संसद, न्यायपालिका- सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, राज्य सरकार तथा प्रशासन-राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधान सभा, पंचायती राज संस्थाएं।
10. मानवाधिकार- मानवाधिकार का अर्थ, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणाएं (1948) भारत में मानवाधिकार तथा कर्तव्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
11. ग्रामीण एवं नगरीय विकास के विभिन्न आयाम।
12. सामान्य विज्ञान- दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता।
13. विकास एवं पर्यावरणीय समस्याएं- विकास से जुड़ी हुई मुख्य समस्या जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, ग्रीन हाऊस गैसों का विसर्जन, इन समस्याओं से बचने के उपाय पर्यावरण संरक्षण कानून।
14. जैव-प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे- जैव प्रौद्योगिकी, नये रोग रोधक टीकों का विकास, आनुवांशिक रूप से विकसित पौधे, मनुष्य के कटे तथा निर्जीव अंगों का पुनर्विकास, बैक्टीरिया द्वारा प्रदूषण की रोकथाम, जैविक ईंधन।
15. भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास-
 - (अ) ऊर्जा एवं जल संसाधन- ऊर्जा की समस्याएं, ऊर्जा संरक्षण, परम्परागत ऊर्जा स्रोत, नवकरणीय ऊर्जा, भारतीय जल संसाधनों के प्रकार उपयोग तथा प्रबन्धन
 - (ब) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटर- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का भारत के परिप्रेक्ष्य में विकास, उपयोगिता तथा दुष्परिणाम। कम्प्यूटर के मूलभूत भाग, संरचना तथा उपयोग।

खण्ड-2

उत्तराखण्ड राज्य संबंधी सामान्य ज्ञान

प्रश्नों की संख्या : 20

पूर्णांक : 20

1. सामान्य भूगोल— स्थिति एवं विस्तार संरचना व उच्चावचन, जलवायु, जल प्रवाह प्रणाली, जनांकिकी संरचना, यातायात एवं संचार तंत्र।
2. इतिहास—
क— प्राचीन काल— निवास करने वाली जाति/प्रजातियां, राजवंश (कुणिन्द, पौरव एवं कत्यूरी)।
ख— मध्यकाल—उत्तर कत्यूरी, चन्द और पंवार राजवंश।
ग— आधुनिक काल— गोरखा एवं ब्रिटिश काल, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का परिदृश्य।
3. प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन— जल, वन, वन्य जीव संरक्षण पार्क एवं अभ्यारण्य, खनिज, पशुपालन, कृषि एवं बागवानी।
4. राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश— राज्य जनपद व तहसील स्तर का प्रशासनिक संगठन।
5. शिक्षा एवं संस्कृति— उत्तराखण्ड के शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, बोली/भाषा, रीति-रिवाज, उत्सव व मेले
6. समाज सुधार आंदोलन— कुली बेगार, डोला-पालकी एवं वन आंदोलन।
7. आर्थिक विकास— जल-विद्युत, औद्योगिक, औद्यानिकी एवं पर्यटन तथा औषधि उद्योग संवर्द्धन।
8. विकासपरक योजनाएं— अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी योजनाएं।
9. समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं।
10. खेल कूद एवं मनोरंजन।

खण्ड-3

सामान्य बुद्धि परीक्षण

प्रश्नों की संख्या : 30

पूर्णांक : 30

शाब्दिक, अशाब्दिक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न जिसमें सादृश्यों, निगमालिक तर्क, समानताओं तथा अंतरों, लुप्त वर्ण, अंक और अनुक्रम, स्थानिक कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, दिशाबोध, कूटबद्ध-कूटानुवाद, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण, सांख्यिकी विश्लेषण एवं अंकगणितीय संख्या सारणी आदि से सम्बन्धित प्रश्न सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की सामान्य विचार, तथ्य और अंकों, सकेतों और उनमें संबंध, अंकगणितीय एवं संख्यात्मक गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक, गणितीय एवं परिमाणात्मक कार्यों से संबंधित योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न भी पूछे जाएंगे।

खण्ड - 4 भाषा

(अ) सामान्य हिन्दी (हाईस्कूल स्तर)

प्रश्नों की संख्या : 20

पूर्णांक : 20

1. पर्यायवाची शब्द
2. विलोम शब्द
3. शब्द समूहों के लिए एक शब्द
4. उपसर्ग/प्रत्यय
5. तत्सम-तद्भव शब्द
6. वर्तनी-शुद्धि
7. वाक्य-शुद्धि
8. समास
9. सन्धि-विच्छेद
10. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ

(ब) सामान्य अंग्रेजी (हाईस्कूल स्तर)

प्रश्नों की संख्या : 10

पूर्णांक : 10

1. Use of Prepositions.
2. One Word substitution.
3. Use of Articles in English.
4. Common errors in English.
5. Idioms.
6. Conversion of one part of speech into another, e.g., Noun to Adjective, and the like.
7. Comprehension of a given passage in English (questions will be asked on the following topics).
 - A. Synonyms.
 - B. Antonyms.
 - C. Hindi translation of a given underlined English Sentence.
 - D. One more question will be also based on the comprehensive passage.

Syllabus for Govt. Industrial Training Institute. Principal (Grade-II)

Examination-2023

(Objective Type)

"GENERAL STUDIES"

Time: 02 hours

Number of Questions: 150

Maximum Marks: 150

SECTION I:

GENERAL STUDIES

Number of Questions: 70

Maximum Marks: 70

1. **Current events of National and International importance.**
2. **Sports and Entertainment.**
3. **Indian History (ancient, medieval, modern).**
4. **Indian National Movement.**
5. **Indian Geography, Economy and Agriculture.**
6. **Natural Resources, Planning, Sustainable and Inclusive Development.**
7. **Natural Calamities and Disaster Management.**
8. **Human Resource Development Index of India.**
9. **Basic Knowledge of Indian Constitution-** Salient features of Indian Constitution, Fundamental Rights and Duties, Directive Principles of State Policy. **The Union Executive-** The President, Prime Minister, Council of Ministers, **The Union Legislature** - Parliament, **The Judiciary** - Supreme Court and High Court, **State Government and Administration-** Governor, Chief Minister and Council of Ministers, Legislative Assembly, Panchayati Raj Institutions.
10. **Human Rights** - Meaning of Human Rights, Universal Declaration of Human Rights (1948), Human Rights and Duties in India, National Human Rights Commission.
11. **Various aspects of Rural and Urban Development.**
12. **General Science-** application of Science in day-to-day life.
13. **Development and Environmental Problems-** Main Problems related to development, population growth, environmental pollution, emission of greenhouse gases and measures to overcome the problems. Laws for environmental conservation.
14. **Biotechnology and Health Issues-** Biotechnology, development of vaccines against new diseases, genetically developed plants, regeneration of worn out and dead tissues and human organs, control of pollution using bacteria, biofuel.
15. **Development of Science and Technology In India:**

A. Energy and Water Resources- Energy crisis, energy conservation, conventional energy sources, renewable energy. types of Indian water resources, use and management.

B. Information, Communication Technology and Computers- Development of information and communication technology in India, benefits and adverse effects. Basic components and structure of computer and its uses.

Section II

General Knowledge Related to Uttarakhand State

Number of Questions: 20

Maximum Marks: 20

1. **General Geography-** Location and Extent, Structure and Relief, Climate and Drainage systems, Demography, Transport and Communication network.
2. **History-**
 - (A) **Ancient Period-** Inhabiting races and tribal groups, Dynasties (Kuninda, Paurav and Katyuri)
 - (B) **Medieval Period** - Later Katyuri, Chand and Panwar dynasties.
 - (C) **Modern Period-** Gorkha and British Period, Post-Independence scenario.
3. **Natural and Economic Resources-** Water, Forest. Minerals, Livestock, Agriculture and Horticulture, Wild-life conservation, Parks and Sanctuaries
4. **Political and Administrative Setup-** Administrative setup at the State, District and Tehsil levels.
5. **Education and Culture-** Educational and Training Institutions Dialects and Languages, Customs and Traditions, Festivals and Fairs.
6. **Social Reform Movements** - Coolie Begar, Dola -palki, and Forest Movements.
7. **Economic Development-** Hydro-electricity, Industry, Horticulture, Tourism, and Herbal Industry development.
8. **Developmental Plans-** Scheduled Castes and Tribal Development planning.
9. **Important Contemporary events.**
10. **Sports and Entertainment.**

Section III

General Intelligence Test

Number of Questions: 30

Maximum Marks: 30

Questions of verbal, non-verbal and analytical types, analogies, syllogism, similarities, differences, missing numbers, characters and sequences, space visualization, problem solving, analysis, decision making, visual memory,

discrimination, observation, relationship concepts, direction sense, coding-decoding, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, data representation and analysis, arithmetical number series. The test would also include questions designed to test the candidates' ability to deal with abstract ideas, facts and figures, symbols and their relationships, arithmetical and numerical computations and other analytical, mathematical and quantitative functions.

Section IV

Language

(A) GENERAL HINDI (High School Level)

Number of Questions: 20

Maximum Marks: 20

1. पर्यायवाची शब्द
2. विलोम शब्द
3. शब्द-समूहों के लिए एक शब्द
4. उपसर्ग/प्रत्यय
5. तत्सम-तद्भव शब्द
6. वर्तनी शुद्धि
7. वाक्य शुद्धि
8. समास
9. सन्धि-विच्छेद
10. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ

(B) GENERAL ENGLISH (High School Level)

Number of Questions: 10

Maximum Marks: 10

1. Use of Prepositions.
2. One Word substitution.
3. Use of Articles in English.
4. Common errors in English.
5. Idioms.
6. Conversion of one part of speech into another, e.g., Noun to Adjective, and the like.
7. Comprehension of a given passage in English (questions will be asked on the following topics).
 - A- Synonyms.
 - B- Antonyms.
 - C- Hindi translation of a given underlined English Sentence.
 - D- One more question will be also based on the comprehensive passage.

परिशिष्ट-3

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

(क) उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री निवासी, ग्राम
तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड के राज्य की
..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की
अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम-1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना
संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम
.....तहसील नगर जिला में
सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज
कल्याण अधिकारी।

(ख) उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी, ग्राम
तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड की
जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)
संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार
उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील नगर जिला
में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम

मुहर : पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण
अधिकारी।

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम व पता)

(अधिसूचना संख्या:-64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

(ग) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या..... वर्ष-2023-24 हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....पोस्ट ऑफिस.....
..... जिला..... पिन कोड.....उत्तराखण्ड राज्य के मूल
निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी
स्रोतों से वित्तीय वर्ष 2022-23 की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित
मानक रू0 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति
धारित नहीं करता है:-

- I. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
 - II. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
 - III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
 - IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि..... जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

आवेदक की
नवीनतम पासपोर्ट
साइज का प्रमाणित
फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम.....
पदनाम.....

(घ) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी, ग्राम
तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश
लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण)
अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और
श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित
पौत्री उपयुक्त अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के
आश्रित है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम.....

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

(घ) दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या -

तारीख

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष
द्वारा विधिवत प्रमाणित
उम्मीदवार का हाल का
फोटो जो उम्मीदवार की
निःशक्तता दर्शाता
हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री आयु..... लिंग..... पहचान चिन्ह.....
.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉल्लिज)

- (I) दोनों टांगे (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
(II) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच (ख) कमजोर पकड़
(III) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टांगें और दोनों बांहें प्रभावित (बी एल बी ए)
(IV) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
- (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- (V) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित
- (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- (VI) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)
(VII) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

- (i) बी – अंधता
(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

- (i) डी-बधिर
(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती।वर्षों महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।*
3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी..... अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- | | | |
|--------|---|----------|
| (i) | एफ-अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ii) | पी पी-धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है। | हाँ/नहीं |
| (iii) | एल-उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iv) | के सी-घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं | हाँ/नहीं |
| (v) | बी-झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vi) | एस-बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vii) | एस टी-खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (viii) | डब्लू-चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ix) | एस ई-देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (x) | एच-सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (xi) | आर डब्लू-पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |

(डॉ०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डॉ०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डॉ०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट-4

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य (श्रेणी-2) परीक्षा-2023

न्यूनतम अर्हकारी अंक (स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु)

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2022(यथा संशोधित) में वर्णित प्राविधान के तहत स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित किये जाने की दशा में निम्नलिखित निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है:-

क्र.सं.	आरक्षण की श्रेणी	स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्रतिशत में।
1	अनारक्षित एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35%
2	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	30%
3	अनुसूचित जाति श्रेणी/अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	25%
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	30%

नोट-

1. अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही स्क्रीनिंग परीक्षा के परीक्षा परिणाम हेतु विचारित किया जायेगा।
2. स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी तथा अभ्यर्थियों द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्त अंकों को साक्षात्कार के साथ नहीं जोड़ा जायेगा।

परिशिष्ट-4(1)

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य (श्रेणी-2) परीक्षा-2023

न्यूनतम अर्हकारी अंक (साक्षात्कार परीक्षा हेतु)

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2022(यथा संशोधित) में वर्णित प्राविधान के तहत प्रवीणता सूची (मेरिट) के लिए निम्नलिखित निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है:-

क्र. सं.	आरक्षण की श्रेणी	सम्पूर्ण प्रवीणता-सूची तैयार किये जाने एवं साक्षात्कार में निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	अनारक्षित एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	45%
2	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	40%
3	अनुसूचित जाति श्रेणी/अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35%
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	40%

नोट-

1. अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत परीक्षा के माध्यम से प्रधानाचार्य श्रेणी-दो पद पर अंतिम चयन सूची हेतु अभ्यर्थियों को केवल साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर विचारित किया जायेगा।

::साक्षात्कार परीक्षा हेतु पूर्णांक 100 है।

परिशिष्ट-05

स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन निम्न नगरों में कराया जाना प्रस्तावित है। यदि स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु अभ्यर्थियों की संख्या कम रहती है तब हरिद्वार नगर में ही परीक्षा आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र के सम्बन्धित कॉलम में परीक्षा केन्द्र के लिए नगर हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करें-

S.No.	Center	City Code
01	Haldwani	01
02	Haridwar	02

नोट:- अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर ही आयोग द्वारा परीक्षा केन्द्र आवंटित किये जायेंगे। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के किसी भी अनुरोध को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट-06

शासनादेश संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत :-

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), Locomoter Disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित) तथा Cerebral Palsy (मस्तिष्क घात) से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत **परिशिष्ट-6(1)** प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-6(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट-6(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-6(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट-6(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-6(1)** प्रमाणपत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की-बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।
7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
8. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू-तल के निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सचिव।

परिशिष्ट-06(1)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs -----
(name of the candidate with disability), a person with -----
(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of
disability), S/o/D/o -----, a resident of -----
(Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which
hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a
Government Health care institution

Name & Designation

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

**Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant
stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist,
Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)**

Letter of Undertaking for using own Scribe

I -----, a candidate with -----(name of the disability) appearing for the -----(name of the examination) bearing Roll No. ----- at ----- (name of the centre) in the District ----- (name of the State). My qualification is -----.

I do hereby state that -----(name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is ----- . In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट-07

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात् 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में श्रुतलेखक एवं/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा **परिशिष्ट-7(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।
2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के संबंध में प्रेषित किया जाने वाला **परिशिष्ट-7(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र निम्नवत् गठित बहु-सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है—
 - i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... अध्यक्ष
 - ii. Orthopaedic/PMR specialist
 - iii. Neurologist (उपलब्धता के आधार पर)
 - iv. Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/ Special Educator
 - v. Occupational therapist. (उपलब्धता के आधार पर)
 - vi. समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।
3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-7(1)** प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान-पत्र के साथ **परिशिष्ट-7(2)** प्रमाण-पत्र एवं **परिशिष्ट-7(1)** प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक-पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत परिशिष्ट-7(1) प्रमाण-पत्र के बिन्दु संख्या-2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।
7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू-तल पर निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
9. उक्त दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होंगे।

सचिव।

परिशिष्ट-07 (1)
Appendix-07 (1)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.....(name of the candidate), s/o /D/o a resident of (Vill/PO/PS/District/State), aged..... yrs. a person(nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid unto _____ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

परिशिष्ट-07 (2)
Appendix-07 (2)

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I _____, a candidate with _____ (nature of disability/condition) appearing for the _____ (name of the examination) bearing Roll No. _____ at _____ (name of the center) in the District _____, _____ (name of the State). My educational qualification is _____.

2. I do hereby state that _____ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is _____. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

“परिशिष्ट-क”

अनिवार्य शैक्षिक अर्हता हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र
कम से कम दो वर्ष का अध्यापन या कर्मशाला का अनुभव

कार्यालय का प्रतीक
(यदि उपलब्ध हो)

विभाग/कार्यालय का नाम :.....
 विभाग/कार्यालय का पता :.....
 औद्योगिक प्रतिष्ठान या संस्थान का प्रकार (सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी) :.....
 औद्योगिक प्रतिष्ठान या संस्थान के पंजीकरण का दिनांक :
 दूरभाष संख्या :.....
 वेबसाईट :.....
 अनुभव का प्रकार: अध्यापन अनुभव : हाँ/नहीं कार्यशाला अनुभव: हाँ/नहीं विषय/ट्रेड:.....

सन्दर्भ संख्या :-

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कू0 पुत्र/पुत्री/पति श्री इस औद्योगिक प्रतिष्ठान/संस्थान के कर्मचारी है/थे तथा उनके द्वारा किये गये अध्यापन/कार्य अनुभव का विवरण निम्न प्रकार है :-

पद का नाम	से DD/MM/YY	तक DD/MM/YY	कुल अवधि YY/MM/DD	नियुक्ति की प्रकृति (स्थायी-नियमित/अस्थायी/ अंशकालिक/संविदा/ आतिथि फ़ैकल्टी/दैनिक भोगी/मानदेय आधारित आदि)	अनुभव की प्रकृति विशेषता/तकनीकी/अध्यापन अनुभव (कम से कम दो वर्ष का अध्यापन या कार्यशाला अनुभव)	वेतनमान एवं अन्तिम आहरित वेतन	कर्तव्य निर्वहन/प्रत्येक पद का संक्षिप्त अनुभव (कृपया विवरण दें, यदि आवश्यकता हो, संलग्न शीट में)	नियुक्ति का स्थान	अन्य
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाये सभी तथ्य सत्य एवं सही हैं।

हस्ताक्षर तथा मुहर

सक्षम प्राधिकारी का नाम व पदनाम.....

"Appendix-A"

EXPERIENCE CERTIFICATE FOR ESSENTIAL QUALIFICATION

At least 02 years Teaching or Workshop experience

Logo of Office
(If available)

Name of Deptt./Office :-----

Address of Deptt./Office :-----

Type of Industrial Establishment or Institution (Govt. , Semi Govt. or Pvt.):-----

Date of Reg. of Industrial Establishment or Institution :-----

Telephone No.:----- Website :-----

Type of Experience : Teaching Experience: Yes/No Workshop Experience: Yes/No Subject/Trade:

Ref. No. -

Dated :

This is to certify that Shri/Smt./Km. Son/Daughter/Husband of Shri..... is/was a bonafide employee of this **reputed Industrial Establishment or Institution** and his/her Teaching/Work Experience is as under:

Name of the post held	From DD/MM/YY	To DD/MM/YY	Total Period YY/MM/DD	Nature of appointment (Permanent- Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/ Technical /Teaching experience.(At least 02 years Teaching or Workshop experience)	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/experience gained in brief in each post (Please give details, if need be, in attached sheet)	Place of posting	Others
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is certified that all the facts mentioned above are true and correct.

Signature & Seal.....

Name And Designation of the Competent Authority.....

परिशिष्ट-08
अभिलेखों से संबंधित चैकलिस्ट

पदनाम – प्रधानाचार्य (श्रेणी-दो)

अनुक्रमांक –.....

क्र० सं०	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं (हां/नहीं)
1.	ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति।	
2.	विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
3.	प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
4.	देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या-04) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
5.	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र	
6.	हाईस्कूल अंकतालिका	
7.	<p>A. आयु हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार 01 जुलाई, 2023 तक (जन्मतिथि 02.07.1981 से 01.07.2002 के मध्य)वर्ष.....माह.....दिन</p> <p>B. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित तिथि तथा प्रमाण पत्र के अनुसार तिथि में परिवर्तन। हाँ/नहीं</p> <p>C. हाँ की दशा में अभ्यर्थी की जन्मतिथि 02.07.1981 से 01.07.2002 के मध्य है अथवा नहीं।</p>	
8.	इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र*	
9.	इण्टरमीडिएट अंकतालिका	
10.	अभ्यर्थी के पास यांत्रिक, विद्युत, इलैक्ट्रानिक्स दूरसंचार, आटोमोबाईल या उत्पादन अभियान्त्रिकी में उपाधि या ए0एम0आई0ई0 (इण्डिया) या ए0एम0आई0 (मैकेनिकल इन्जीनियरिंग) (लन्दन) ए0एम0आई0ई0ई0 (लन्दन) या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता वर्ष-	
11.	अभ्यर्थी के पास अध्यापन या कर्मशाला का अनुभव। कुल अवधि वर्ष में-	
12.	अधिमान्नी अर्हता- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	
13.	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0**/ई0डब्लू0एस0***)	
14.	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण	

	संबंधी प्रमाण-पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/दिव्यांग/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे)	
15.	स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।	
16.	अभ्यर्थी यदि किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति।	
17.	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	
18.	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।	
19.	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा-आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि मूल रूप में तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधर पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथिनवम्बर, 2023 तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या-310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हो।

*** ई0डब्लू0एस0 प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2022-2023 की आय गणना के आधर पर निर्गत तथा वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु मान्य होना चाहिए।

नोट-आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थी उक्तानुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02), प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03), देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या-04) एवं समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....